न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

पीठासीन अधिकारी अभिलाषा आर0ए0एस

मु0 न0 120/2019

1. गिरधारीलाल आयु 62 साल पुत्र स्व0 हनुमान जाति माली पेशा खेती निवासी वार्ड न0 18 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
2. राकेश आयु 40 साल पुत्र स्व0 सोहनलाल जाति माली पेशा खेती व व्यापार निवासी वार्ड न0 18 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
3. प्रकाश आयु 38 साल पुत्र स्व0 बालाराम जाति माली पेशा खेती निवासी वार्ड न0 18 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
4. रामप्रताप आयु करीब 36 साल दत्तक पुत्र स्व0 झाबरमल जाति माली पेशा खेती व व्यापार निवासी वार्ड न0 18 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।

--आवेदकगण/वादीगण

बनाम

1. श्रीमती पतासी देवी आयु 75 साल पत्नी स्व0 झाबरमल जाति माली पेशा खेती निवासी वार्ड न0 18 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
2. श्रीमती राधा देवी आयु 40 साल पत्नी स्व0 महेन्द्र कुमार जाति माली पेशा खेती निवासी चौराहा स्टेण्ड बगड़ तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. ईश्वर आयु 15 साल पुत्रगण स्व0 महेन्द्र कुमार जाति माली पेशा खेती निवासी चौराहा स्टेण्ड बगड़ तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. आशीष आयु 12 साल पुत्रगण स्व0 महेन्द्र कुमार जाति माली पेशा खेती निवासी चौराहा स्टेण्ड बगड़ तहसील व जिला झुंझुनूं।
   नाबालिगान जरिये वलिया कुदरती श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व0 महेन्द्र कुमार जाति माली पेशा खेती निवासी चौराहा स्टेण्ड बगड़ तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति अधिवक्तागण

1. श्री संदीप मान एडवोकेट आवेदकगण
2. ।श्री अजय नायक एडवोकेट अप्रार्थी न0 1

<u>निर्णय</u>

दिनांक 15.12.2020

आवेदकगण/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थायी/निषेधाज्ञा सारतः इस अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया कि नेता पुत्र सेडू जाति माली नामक व्यक्ति था जिसका दैहान्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने से पहले ही हो गया था। [illegible] पुत्र हनुमान हुआ था। हनुमान का दैहान्त दिनांक 11.04.1999 को हो ग[illegible]न के लड़के आवेदक न0 1 गिरधारीलाल,सोहनलाल,बालाराम,झाबरमल हुए व [illegible] श्रीम[illegible] हुई थी भाईयो में आवेदक न0 1 सबसे छोटा था। नेता के जीवनकाल [illegible] झाबरमल का जन्म हो गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:02:01 IST
Reason: SelfAttested

उक्त झाबरमल का दैहान्त दिनांक 30.04.2014 को ह[illegible]ा। उक्त झाबरमल का आवेदक न0 4 दत्तक पुत्र है व अनावेदक न0 1 पत्नी है। उक्त झाबरमल के श्रीमती पतासी देवी से कोई सन्तान पैदा नही हुई थी व सन्तान पैदा होने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। आवेदक न0 4 रामप्रताप झाबरमल के सगे भाई उक्त सोहनलाल का जाईन्दा पुत्र है। झाबरमल के सगे भाई बालाराम के भी कोई पुत्र सन्तान पैदा नही हुई थी। इस कारण बालाराम की

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

इच्छा के अनुसार हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार श्रीमती शंकरी देवी ने सोहनलाल व श्रीमती दुर्गी देवी के जाईन्दा पुत्र आवेदक न0 3 प्रकाश को गोद लिया। इस प्रकार आवेदक न0 3 प्रकाश दत्तक पुत्र है। इसी कारण श्रीमती शंकरी देवी, श्रीमती मोहनी देवी, श्रीमती कैलाशी देवी, श्रीमती बेबी ने अपने 1/5 हिस्से की जमीन दिनांक 25.06.2019 को जरिये रजिस्टर्ड दान पात्र से दान में दे दी। उक्त झाबरमल के पुत्र सन्तान न होने से झाबरमल व अनावेदक न0 1 ने सोहनलाल व श्रीमती दुर्गी देवी से रामप्रताप को गोद देने की इच्छा जाहिर की व इनकी इच्छा के अनुसार माह मगसीर बदी 5 सम्वत 2040 को आवेदक न0 4 के जाईन्दा पिता व माता सोहनलाल व श्रीमती दुर्गी देवी ने हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार झाबरमल व अनावेदिका न0 1 को आवेदक न0 4 रामप्रताप को गोद दे दिया। आवेदक न0 4 रामप्रताप को झाबरमल ने अपनी गोद में बैठाकर झाबरमल व अनावेदक न0 1 श्रीमती पतासी देवी ने गोद का बेटा होना स्वीकार किया। गोद के समय हवन व पूजा की गई जिसमें झाबरमल व श्रीमती पतासी देवी न दत्तक ग्रहिता का दायित्व निभाया व सोहनलाल व श्रीमती दुर्गी देवी ने गोद देने का दायित्व निभाया है। गोद के समय आवेदक न0 4 रामप्रताप करीब 1 वर्ष का था। गोद के समय बिरादरी के मोजिज व्यक्ति इकट्ठा हुये रिस्तेदारों को बुलाया व गोद की खुशी में गीत गाये गये। उक्त झाबरमल ने इस गोद की बाबत दिनांक 19.01.1985 को गोदनामा निष्पादित कर उप पंजीयक चिड़ावा से पंजीकृत करवा दिया। इस प्रकार आवेदक न0 4 उक्त झाबरमल का दत्तक पुत्र हुआ। कस्बा सूरजगढ़ की सरहद में जमीन गत खसरा न0 188 रकबा 6 बीघा 8 बीश्वा हाल खसरा न0 519 रकबा 0.05 है0, हाल खसरा न0 521 रकबा 0.30 है0, हाल खसरा न0 522 रकबा 0.30 है0, हाल खसरा न0 523 रकबा 0.47 है0, खसरा न0 524 रकबा 0.58 है0 , खसरा न0 525 रकबा 0.05 है0 व गत खसरा न0 856 रकबा 22 बीघा 15 बिश्वा के हाल खसरा न0 385 रकबा 2.75 है0, हाल खसरा न0 490 रकबा 2.52 है0 है। उक्त जमीन पहले आवेदक न0 1 के पिता हनुमान की पैतृक सम्पति थी। हनमान के देहान्त हो जाने के बाद इस जमीन की खातेदारी आवेदक न0 1 व सोहनलाल,झाबरमल, श्रीमती सूरजी देवी व स्व0 बल्लाराम की पत्नि व पुत्रीयों के नाम दर्ज हुई। प्रत्येक का 1/5 हिस्सा दर्ज हुआ। इस प्रकार आवेदक न0 4 व झाबरमल का प्रत्येक का 1/10 हिस्सा था क्योंकि आवेदक न0 4 दत्तक पुत्र होने से पैतृक सम्पति में गोद के समय से झाबरमल के समान हिस्सा मिला। झाबरमल के देहान्त होने जाने पर उसका 1/10 हिस्सा आवेदक न0 4 व अनावेदक न0 1 को मिला । इस प्रकार आवेदक न0 4 रामप्रताप का 1/10 + 1/20= 3/20 हिस्सा हुआ व अनावेदक न0 1 का 1/20 हिस्सा हुआ।

अनावेदकगण न0 2 से 4 का कभी भी सयुक्त कब्जा या काश्त नहीं रहा व न ही कभी हक क्लेम किया । श्रीमती सूरजी देवी ने भी कभी हक क्लेम नहीं किया था ओर न ही कब्जा काश्त रहा था। लेकिन राजस्व रिकार्ड में अनावेदकगण न0 2 से 4 के नाम 1/20 हिस्सा हिस्से की खातेदारी दर्ज है । अनावेदक न0 1 श्रीमती पतासी देवी का विवादित जमीन में 1/20 हिस्सा ही है। श्रीमती पतासी देवी अनावेदक न0 1 ने चल सम्पति, रूपये व आभूषण ही अपने पास रखे थे लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राजात के आधार पर अनावेदक न0 1 के मन में ज्यादा बेईमानी पैदा हो गई व इस नियत से आवेदक न01 ने जमीन को विक्रय करने की नियत से कस्बा सूरजगढ़ के भिन्न–भिन्न व्यक्तियों से सम्पर्क किया जिसका पता लगने पर आवेदकगण ने दिनांक 14.07.2019 को अनावेदक न01 को समझाना चाहा और गलत इन्द्राजात के आधार पर कार्यवाही न करें व राजस्व रिकार्ड में सही हिस्से का इन्द्राज करावें। अनावेदक न01 ने धमकी दी की वह इन्द्राजात के आधार पर जमीन को विक्रय करेगी । अनावेदक न01 को गलत इन्द्राजात के आधार पर रहन बय दान करने का हक नहीं है। अगर अनावेदक न01 इसमें सफल हो गई तो आवेदकगण को [illegible] होगा इस कारण आवेदकगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

इसके विपरीत अप्रार्थी न01 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश [illegible] कथन विवादित है कि प्रार्थी न04 के पिता सोहनलाल द्वारा अवैध व [illegible] बनाये गये गोदनामे को सही माना जाता है तो झाबरमल के देहान्त के बाद झाबरमल की [illegible]मि में 1/10 हिस्सा प्रार्थी न0 4 का तथा 1/10 हिस्सा अप्रार्थी न0 1 का होगा । आवेदक न0 4 के जाईन्दा पिता सोहनलाल द्वारा दिनांक 19.01.1985 को अप्रार्थी के पति को बहला फुसलाकर अवैध व कुटरचित तरीके से करवाये गये गोदनामें को खारीज करवाने बाबत अप्रार्थी न. 1 ने एक उनवानी वाद

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:02:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पतासी बनाम रामप्रताप वगै0 मुकदमा न0 30/11 न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिलानी में पेश कर रखा है जो विचाराधीन है ।

उभय पक्ष को सुना गया इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में न्यायालय को निम्न बिन्दुओं पर अपना विनिश्चय करना है–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्णीय क्षति

प्रथम दृष्टया मामला–प्रथम दृष्टया मामला का न्यायालय के मत में यह तात्पर्य है कि प्रार्थीगण का कथन है कि नेता पुत्र सेडु माली के पुत्र हनुमान हुआ । हनुमान का दैहान्त दिनांक 11.04.1999 को हो गया । हनुमान के लड़के गिरधारी,सोहनलाल,बालाराम, झाबरमल व लड़की सुरजी हुई थी। नेता के जीवनकाल में ही हनुमान के बड़े लड़के झाबरमल का जन्म हो गया था। उक्त झाबरमल का दैहान्त दिनांक 30.04.2014 को हो गया । उक्त झाबरमल का आवेदक न0 4 दत्तक पुत्र है व अनावेदक न01 पत्नि है उक्त झाबरमल ने आवेदक न0 4 को गोद लेने के बाद दिनांक 19.01.1985 को गोदनामा उप पंजीयक चिड़ावा से पंजीकृत करवा दिया था। इस प्रकार उक्त झाबरमल का आवेदक न0 4 दत्तक पुत्र है। दत्तक पुत्र होने के कारण विवादित जमीन में दत्तक पुत्र को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त झाबरमल के बराबर हिस्सा मिला ।

इसके विपरित अप्रार्थी न01 ने जवाब दिया की प्रार्थीगण के तथ्यों को तेजा होना उसके उत्तराधिकारी होना, हनुमान का दैहान्त होना व झाबरमल के दत्तक पुत्र आवेदक न0 4 को होना स्वीकार किया है तथा आवेदक न04 का गोदनामा गलत तरीके से होना जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया और उक्त गोदनामा के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में मुकदमा विचाराधिन होना भी दर्ज किया परन्तु उक्त गोदनामा निरस्त नहीं हुआ है इस कारण आवेदक न0 4 का राजस्व रिकार्ड में सही हिस्सा दर्ज नहीं हुआ । झाबरमल का आवेदक न04 दत्तक पुत्र होना साबित होता है इस प्रकार प्रथम दृष्टया का मामले के बिन्दु आवेदकगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहें है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति– चूकि उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला माना गया है इस कारण आवेदकगण के पक्ष में अनावेदकगण की तुलना में असुविधा की सम्भावना है। सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी आवेदकगण के पक्ष में तय किये जाते हैं।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

आदेश

ता फैसला दावा अनावेदकगण न0 1 व 4 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि जमीन हाल ख0न0 385 रकबा 2.75 है0 ख0न0 490 रकबा 2.52 है0, ख0न0 519 रकबा 0.05 है0, ख0 न0 521 रकबा 0.30 है0, ख0न0 522 रकबा 0.30 है0, ख0न0 523 रकबा 0.47 है0, ख0न0 524 रकबा 0.58 है0, ख0न0 525 रकबा 0.05 है. वाके कस्बा सूरजगढ़ में आवेदकगण के उपयोग व उपभोग में बाधा कारीत न स्वयं करे न अपने किसी एजेन्ट से करवाये न किसी प्रकार का हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करवाये मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण को जबरदस्ती बैदखल नहीं करे। प्रार्थना पत्र का खर्चा पक्षकाराना अपना–अपना वहन करे। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:02:01 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 15.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Scanned with CamScanner